



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1639/JH/4/2024-APCR-RU-IV

दिनांक :01.05.2025

सेवा मे

Shri Umashankar Singh,
Village Ulman Ps-Ramgarh
Ulman, District - Palamu,
Jharkhand - 825102,

विषय : झारखंड राज्य के पलामू जिला के रामगढ़ क्षेत्र के हुटार पुलिस कैंप प्रभारी द्वारा उलमान गाँव के तीन अनुसूचित जनजाति लोगों से मा रपीट करने के संबंध में श्री उमाशंकर सिंह, जिला - पलामू, झारखंड का अभ्यावेदन।
महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **16.05.2025 समय 03:00 P.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
✓ NIC for uploading